न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—223/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00223)

1. श्रीमती पानी उर्फ देवली पत्नी श्री हरजी, जाति गुर्जर उम्र 90 वर्ष निवासी ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. शिवराज पुत्र श्री शंकर
2. अजीत पुत्र श्री बलवीर
3. दिलीप पुत्र श्री बलवीर
4. मनीष पुत्र श्री सुखपाल
5. धर्मेन्द्र पुत्र श्री सुखपाल
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर।
6. उमराव पुत्र श्री गोरधन(मृतक) जरिए वारिसान
   6/1 गट्टू पत्नी उमराव
   6/2 गोरधन पुत्र उमराव
   6/3 प्रदीप पुत्र उमराव
   6/4 सुरेन्द्र पुत्र उमराव
   6/5 रेखा पुत्री उमराव
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सामलीपोल, तबीजी, तहसील व जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2020 सहायक कलक्टर, अजमेर राजस्व वाद संख्या 53/2020

उपस्थितः—

1. श्री श्रवण सिंह गौड़, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02, 03, 05 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 07.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 6/1 से 6/5 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—24.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2020 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट ने सहायक कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया। उक्त आशय का स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व वाद वादीया/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आशय का राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए। जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 2,3,4 एवं 6 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई समाहित की जाकर अपने आदेश दिनांक 21.10.2020 के द्वारा रेस्पोडेंट के उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार फरमा कर वादीया/अपीलांट के उक्त राजस्व वाद को दिनांक 21.10.2020 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2020 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 6/1 से 6/5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वादीया/अपीलांट के राजस्व वाद को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(6) से हिट होने का कथन अंकित करते हुए उक्त राजस्व वाद को विधि विरूद्ध बताया गया था जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(6) में सरकारी आराजीयात तथा सरकारी नदी, नालों की आराजीयात को लेकर उक्त धारा में कथन अंकित किय गया है परंतु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई मामला नहीं था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटस का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट के वाद को खारिज कर आदेश दिनांक 21.10.2020 पारित कर दिया। रेस्पोडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा संख्या 2861 रकबा 0.10 हैक्टर की किस्म रास्ता अंकित होने बाबत प्रस्तुत किया गया था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद के संलग्न जमाबंदी का अवलोकन नहीं किया गया जबकि खसरा संख्या 2861 रकबा 0.10 है0 बाबत वादीया/अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात थी तथा उक्त आराजीयात की किस्म रास्ता दर्ज थी तथा वादीया/अपीलांट द्वारा उक्त खसरा नम्बर की आराजीयात को स्वयं की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग किया जा रहा है जिस बाबत रेस्पोडेंटस को किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है तथा उक्त आराजीयात वादीया/अपीलांट की निजी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात होकर उक्त रास्ता अपीलांट का निजी रास्ता है। इन सब के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 21.10.2020 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंटस द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.10 है0 आराजीयात की किस्म रास्ता अंकित है जिस बाबत रेस्पोडेंटस को किसी भी प्रकार का

Scanned with CamScanner

कोई हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया/अपीलांट का अन्य सम्पूर्ण आराजीयात बाबत उक्त राजस्व वाद को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर आदेश दिनांक 20.10.2020 पारित कर दिया। वादीया द्वारा अपने राजस्व वाद पत्र के साथ अपनी खातेदारी व काश्तकारी की आराजीयात से संबंधित राजस्व रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा उक्त राजस्व वाद बाबत अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण रूप से सुनवाई का क्षेत्राधिकार था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिंदु पर प्रतिवादीगण का जवाब लेकर उक्त बिंदु पर तनकी कायम करने के पश्चात उक्त राजस्व वाद का निस्तारण किया जाना चाहिए था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर आदेश दिनांक 20.10.2020 पारित कर दिया। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 2861 रकबा 0.10 हैक्टर की हद तक ही उक्त राजस्व वाद बार्ड बाई लॉ होने से नहीं चलने की दादरसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मांगी गई परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीया के सम्पूर्ण राजस्व वाद को ही निरस्त किए जाने का अविधिक आदेश प्रदान कर दिया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02,03,05 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.1000 गैर मुमकिन रास्ता एवं आराजी खसरा नम्बर 2868/4551 रकबा 0.0600 है0 किस्म बाराजी–2 के बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.1000 है. किस्म गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 (वर्ष 2019) में उपरोक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(6) से हिट होने से उपरोक्त वाद आदेश 07 नियम 11 (डी) जाप्ता दीवानी के तहत् काबिल खारिज योग्य है क्योंकि उक्त गैरमुमकिन रास्ता ग्राम तबीबजी के वासियों के लिए आवागमन के काम में आ रही है ऐसी स्थिति में रास्ते के बाबत् वादीया को दावा करने का काननून कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया का वाद बार्ड बाई लॉ होने से आदेश 07 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के आधार पर काबिल खारिज किए जाने जो आदेश दिये है वह विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज योग्य है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम तबीजी तहसील जिला अजमेर कृषि आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के वादग्रस्त आराजीयात बाबत बेदखली एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया था तथा रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.1000 की किस्म राजस्व

Scanned with CamScanner

रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा उक्त राजस्व वाद विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हाजा न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेट द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र तथा वादग्रस्त आराजीयत के साथ संलग्न जमाबंदी का अवलोकन करने पश्चात पाया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.1000 हैक्टर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के खाते में दर्ज अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी के रूप में दर्ज परंतु उक्त खसरा नम्बर की किस्म गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीया के उक्त सम्पूर्ण राजस्व वाद को उक्त आधार पर ही निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया,जो कि विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वाद पत्र वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.1000 हैक्टर व अन्य खसरा नम्बर 2868/4551 रकबा 0.0600 है0 बाबत् भी प्रस्तुत किया हुआ था। केवल एक खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.1000 है0 गैरमुमकिन रास्ता दर्ज होने से सम्पूर्ण दावे को खारिज किया है जबकि वादी ने अन्य खसरा नम्बर 2868/4551 रकबा 0.0600 है0 बाबत् भी वाद प्रस्तुत किया था, उन्हे साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं दिया गया। पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, पुनः प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उक्त वाद से संबंधित पक्षकारों को जवाब/साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उक्त प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner